रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 763] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937
No. 763] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015/CHAITRA 20, 1937

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

का.आ. 991(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा राजस्थान राज्य विधायन के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अंतर्गत गठित 'राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड', को उक्त बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) सरकारी अनुदानों के रूप में प्राप्त राशि;

(ख) लाइसेंस फीस और जुर्माने के रूप में प्राप्त राशि;

(ग) सरकारी अनुदानों, लाइसेंस फीस और जुर्माने पर अर्जित ब्याज

2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी; कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :-

(क) कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करता है;

(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष (वर्षों) में अपरिवर्तनीय रहते हैं ; और

(ग) अपनी आय की विवरणी आयकर अधिनियम, की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दाखिल करता है।

[अधिसूचना सं. 34/2015/फा. सं.196/38/2012-आयकर नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2015

S.O. 991(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Rajasthan State Pollution Control Board', a Board constituted under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) of Rajasthan State Legislature in respect of the following specified income arising to that Board, namely:—

(a) amount received in the form of Government Grants;

(b) amount received as license fees and fines;

(c) interest earned on government grants, license fees and fines.

2. This notification shall be applicable for the Financial years 2012-13 to 2016-17.

3. The notification shall be effective subject to the conditions that Rajasthan State Pollution Control Board -

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and

(c) files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of Section 139 of the Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 34 /2015/F. No.196/38/2012-ITA.1]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

का.आ. 992(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपवाक्य के प्रयोजन के लिए '' हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग जोकि हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 (1998 का हरियाणा अधिनियम सं.10) अंतर्गत गठित एक आयोग है, को उक्त आयोग को होने वाली विशिष्ट आय के बारे में अधिसूचित करती है, यथा:—

(क) हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान और ऋण;

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्राप्त शुल्क;

(ग) सरकारी अनुदान और ऋण पर तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्राप्त शुल्क पर ब्याज;

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहेगी, यथा:- ''हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग'

(क) किसी भी वाणिज्यिक कार्यकलाप में संलग्न नहीं होगा;

(ख) इसके क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरुप संपूर्ण वित्तीय वर्षों में यथावत रहेंगे;

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपवाक्य (छ) के प्रावधानों के तहत अपना आयकर रिटर्न भरा करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक लागू रहेगी।

[अधिसूचना सं. 35/2015/फा. सं. 196/48/2012-आ.का.नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2015

S.O. 992(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the 'Haryana Electricity Regulatory Commission', a Commission constituted under the Haryana Electricity Reform Act, 1997 (Haryana Act No.10 of 1998), in respect of the following specified income arising to that body, namely:—

(a) grants and loans made by the Government of Haryana;

(b) fees received under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(c) interest earned on government grants and loans and fees received under the Electricity Act, 2003 (36 of 2003).

2. The notification shall be subject to the conditions that the Haryana Electricity Regulatory Commission:—

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and

(c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the said Act.

3. This notification shall be applicable for the Financial Years 2012-13 to 2016-17.

[Notification No. 35/2015/F. No. 196/48/2012-ITA.I0]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

का.आ. 993(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, पंजाब सरकार द्वारा गठित, ''पंजाब राज्य बिजली विनियामक आयोग, (पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) को, उक्त आयोग को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रोसेसिंग फीस के रुप में प्राप्त राशि;

(ख) लाइसेंस फीस के रुप में प्राप्त राशि;

(ग) याचिका फीस के रुप में प्राप्त राशि;

(घ) बैंक जमा पर प्राप्त होने वाले ब्याज आय की राशि।

2. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2011-12 से लेकर 2015-16 के लिए भी लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी; कि पंजाब राज्य बिजली विनियामक आयोग-

(क) कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करता है;

(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरुप संपूर्ण वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तनीय रहते हैं; और

(ग) यह अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

[अधिसूचना संख्या 36/2015/फा. सं. 196/42/2012-आयकर नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2015

S.O. 993(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the 'Punjab State Electricity Regulatory Commission', constituted by the Government of Punjab, in respect of the following specified income arising to that Commission, namely:—

(a) amount received in the form of processing fee for determination of tariff;

(b) amount received in the form of licence fee;

(c) amount in the form of petition fee; and

(d) amount of interest income earned on bank deposits.

2. This notification shall be applicable for the financial years 2011-12 to 2015-16.

3. The notification shall be effective subject to the conditions that the Punjab State Electricity Regulatory Commission—

(a) does not engage in any commercial activity;

(b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and

(c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the said Act.

[Notification No. 36 /2015/F. No. 196/42/2012-ITA.I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

का.आ. 994(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के कानूनी आदेश सं. 354(अ) द्वारा यथा अधिसूचित औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा जाएगा) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.02.2005 के पत्र सं.15/13/05-आईपी एंड आईडी के माध्यम से सर्वेक्षण सं.5,15,17 कोंडापुर गांव, सेरिलिंगमपल्ली, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स मीनाक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा विकसित और अनुरक्षित और प्रचालित किए जा रहे उपक्रम को एक औद्योगिक पार्क के रूप में अनुमोदन प्रदान किया था;

और, जबकि, केन्द्रीय सरकार (वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण सं.5,15,17 कोंडापुर गांव, सेरिलिंगमपल्ली, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स मीनाक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा विकसित और अनुरक्षित और प्रचालित किए जा रहे उपक्रम को भारत के राजपत्र के भाग-।।, खंड 3 के उपखंड (ii) में दिनांक 21 अगस्त, 2006 के का.आ. संख्या 3466 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना के द्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि मैसर्स मीनाक्षी इंफ्रास्क्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद ने दिनांक 2 अगस्त, 2006 के पत्र द्वारा हैदराबाद स्थित 'डी पार्क' नामक औद्योगिक पार्क के प्रचालन और अनुरक्षण का हस्तांतरण मैसर्स विजय इन्फोटेक वेन्चर्स, सिकन्दराबाद को किए जाने हेतु आवेदन किया;

और जबकि केन्द्र सरकार (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) ने दिनांक 9 अगस्त, 2006 के अपने पत्र सं.15/3/05-आईपी एंड आईडी के जरिए उपक्रम के प्रचालन और अनुरक्षण के कार्य को मैसर्स विजय इन्फोटेक वेंचर्स, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश को हस्तांतरित किए जाने के अनुरोध पर विचार किया;

और जबकि केन्द्र सरकार (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) ने दिनांक 10.04.2007 के अपने पत्र सं.15/12/2006-आईडी के जरिए दिनांक 17 फरवरी, 2005 को अनुमोदन सं. 15/13/2005-आईपी एंड आईडी के माध्यम से दिए गए अनुमोदन में पैरा 7(vii) में किए गए संशोधन को अनुमोदित किया;

और जबकि, केन्द्र सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने तदन्तर दिनांक 6 फरवरी, 2014 के पत्र सं.15/12/2006-आईपी एंड आईडी के माध्यम से दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के अपने पत्र सं. 15/12/2006-आईडी के जरिए निर्धारित शर्तों और निबंधनों में और कोई संशोधन करने का प्रस्ताव वापस कर दिया;

और जबकि, उपक्रम औद्योगिक पार्क स्कीम एवं केन्द्र सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ.3466, दिनांक 21 अगस्त, 2006 तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और प्रचार विभाग के अनुमोदन सं.15/12/2006-आईडी दिनांक 10 अप्रैल, 2007 में निर्धारित शर्तो और निबंधनों को पूरा करने में असफल रही है;

अब, अत: केन्द्र सरकार, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित अधिनियम की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड-(iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा 21 अगस्त, 2006 से उपक्रम के मामले में जारी दिनांक 21 अगस्त, 2006 की उक्त अधिसूचना सं.का.आ.3466 को रद्द करती है।

[अधिसूचना सं. 37/2015/फा.सं. 178/72/2006-आईटीए-**I**]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2015

S.O. 994(E).—Whereas the Central Government (Ministry of Commerce and Industry) in exercise of the powers under the Industrial Park Scheme, 2002 (hereinafter referred to as the Scheme), as notified vide number S.O. 354(E), dated the 1st April 2002, had granted approval vide letter No. 15/13/05-IP&ID dated 17.02.2005 to the undertaking being developed, maintained and operated by M/s. Meenakshi Infrastructure Private Ltd., Hyderabad at Survey No. 5, 15, 17, Kondapur Village, Serilingampally, Rangareddy District, Andhra Pradesh as an Industrial Park;

And whereas, the Central Government (Ministry of Finance, Department of Revenue, CBDT) in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Act') had notified the undertaking being developed and being maintained and operated by M/s. Meenakshi Infrastructure Private Ltd., Hyderabad at Survey No. 5, 15, 17, Kondapur Village, Serilingampally, Rangareddy District, Andhra Pradesh as an Industrial Park for the purposes of the said clause (iii), vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, vide number S.O .No. 3466, dated the 21st August 2006 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) ;

And whereas M/s. Meenakshi Infrastructure Private Ltd., Hyderabad vide their letter dated 2nd August, 2006 filed an application for transfer of Operation and Maintenance of the Industrial Park named 'E Park" at Hyderabad to M/s. Vijay Infotech Ventures, Secunderabad;

And whereas, the Central Government (Ministry of Commerce & Industry) vide letter No.15/13/05-IP&ID dated 9th August, 2006 considered the request of the undertaking for transfer of operations and maintenance to M/s. Vijay Infotech Ventures, Secunderabad, Andhra Pradesh;

And whereas the Central Government (Ministry of Commerce & Industry) vide letter no/15/12/2006-ID dated 10.4.2007, approved amendment at para 7(vii) to the approval accorded vide approval No.15/13/2005-IP&ID dated 17th February, 2005;

And whereas, subsequently the Central Government (Ministry of Commerce and Industry) vide letter No.15/12/2006-IP&ID dated 6th February, 2014 has rejected further amendment to the terms and conditions laid down vide its letter no.15/12/2006-ID dated 10th April, 2007;

And whereas, the undertaking has failed to adhere to the terms and conditions as laid down in the Industrial Park Scheme and by the Central Government vide the Ministry of Finance, Department of Revenue's Notification number S.O.No.3466, dated the 21st August 2006 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion's approval letter no.15/12/2006-ID dated 10th April, 2007;

Now, therefore the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the Act read with section 21 of the General Clause Act, 1897 (10 of 1897), hereby rescinds the said notification No. S.O. 3466, dated the 21st August 2006 issued in the case of the undertaking with effect from 21st August 2006.

[Notification No. 37 /2015/F.No.178/72/2006-ITA-I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.